

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाह्ना दीवानी)  
(Civil Procedure Code Appendix D-1)  
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), लाडनू जिला-डीडवाना-कुचामन  
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती मीनू वर्मा (आर.ए.एस.)  
राजस्व वाद सं० 2022/255

वादीगण -


1. रामकुमार पुत्र तेजराम जाति- रेगर  
निवासी-सिलनवाद तहसील लाडनू जिला डीडवाना-कुचामन।  
बनाम

प्रतिवादीगण-

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम
2. पपुराम पुत्र सुरजाराम
3. नानकीदेवी पुत्री सुरजाराम
4. लिछमादेवी पुत्री सुरजाराम
5. सुन्दर देवी पुत्री सुरजाराम
6. संतोषदेवी पुत्री सुरजाराम
7. सन्तुदेवी पुत्री सुरजाराम
8. सुवटी पुत्री सुरजाराम
9. गीतादेवी पत्नि अर्जुनराम
10. हरिशंकर पुत्र अर्जुनराम
11. देवाराम पुत्र अर्जुनराम
12. डालचन्द पुत्र अर्जुनराम
13. घनश्याम पुत्र अर्जुनराम
14. जितेन्द्र पुत्र अर्जुनराम
15. परसराम पुत्र रामीदेवी पुत्री तेजाराम
16. ताराचन्द पुत्र रामीदेवी पुत्री तेजाराम
17. कमादेवी उर्फ कमली देवी पुत्री रामीदेवी पुत्री तेजाराम
18. पांची देवी पुत्री रामीदेवी पुत्री तेजाराम
19. जेठी देवी पुत्री तेजाराम
20. गुलाबी देवी पुत्री तेजाराम
- समस्त जाति रेगर निवासी सिलनवाद तहसील लाडनू जिला डीडवाना-कुचामन।
21. नायब तहसीलदार/उपपंजीयक निम्बीजोधा
22. तहसीलदार, लाडनू जिला डीडवाना-कुचामन।

वाद बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवारा खेताय  
अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. अधिवक्ता श्री इन्द्रचन्द घोटिया वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 15, तथा 71 से 20की ओर से वकील सोनू शर्मा।
3. प्रतिवादी संख्या 16, 21 व 22 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

  
उपलब्ध प्रतिवादी  
बाडनू (प.प.)

मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा अंतिम डिक्री सादिर कर. मौजा सिलनवाद के ख.न. 1184 रकबा 2.6871 हैक्टेयर, ख.न. 1797/1218 रकबा 1.5702 हैक्टेयर, ख.न. 722 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, ख.न. 724 रकबा 1.4892 हैक्टेयर भूमि वादी के अकेले बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी की घोषित की जाकर 1/2 भाग की खातेदार पन्नीदेवी का नाम रिकॉर्ड से हटाये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार लाडनू को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा अपना हक हकत्याग करने से पंजीयन नियमानुसार वर्तमान बाजार दर से हकत्याग बाबत स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाने पर राजस्व रिकॉर्ड में माफिक डिक्री आदेश के अमल दरामद किया जावे।

बीज-मुबलिंग-

बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फिसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक-को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/5/26 को जारी की गई

(मीनू वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, लाडनू  
जिला डीडवाना-कुचामन

मुद्दा	रूपया	पै०	मुदायलाह	रूपया	पै०
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			ववत इजराय हुकमनामा		
ववत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(मीनू वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, लाडनू  
जिला डीडवाना-कुचामन